2012:CGHC:9105

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकलपीठ :- माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 278 /2004

मंगलूराम

विरुद्‌घ

छ०ग० शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 02-04-2012 को सूचीबद्‌ध करें।

हस्ताक्षर
आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकलपीठ :- माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 278 /2004

अपीलाथी :- मंगलूराम पिता नोखेराम साहू
उम्र लगभग 36 वर्ष लगभग
पेशाः- कृषि निवासी :-ग्राम -कोपेडीह,
पुलिस थाना -जिला :- राजनांदगॉव
(छ०ग०)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी :- छ०ग० शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

;...

उपस्थित :- अपीलार्थी की ओर से श्री सुनील साहू अधिवक्ता
प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से श्रीमती मधुनिशा सिंह
पैनल अधिवक्ता

;...

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(दिनांक 02 अप्रैल 2012 को प्रदत्त)

यह अपील स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधित) अधिनियम, 2001के तहत विशेष न्यायाधीश दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 19/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11-3-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अभियुक्त/अपीलार्थी मंगलूराम को उक्त अधिनियम की धारा 20(ब)(ii)(ब) के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया गया था। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में, उसे अतिरिक्त एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया था।

.2. अभियोजन पक्ष के प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है:

दिनांक 06-08-2002 को, निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) थाना गुरूर में थाना प्रभारी, के रूप में पदस्थ थे। उस दिन उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल मोपेड क्रमांक एम पी 029 4152 पर गुरूर सनौद रोड की ओर गांजा ला रहे हैं। उन्होंने प्रदर्श पी-6 के रूप में 'मुखबिर सूचना पंचनामा' तैयार किया और उक्त जानकारी को रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी-1सी) में भी दर्ज किया। उन्होंने उक्त सूचना प्रदर्श पी-23 के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, बालोद को प्रेषित की। उन्होंने साक्षियों (गवाहों) को बुलाया और तत्पश्चात गुरूर सनौद रोड की ओर प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने उक्त मोटरसाइकिल पर आ रहे अपीलार्थी और रामखिलावन को रोका; उक्त मोटरसाइकिल अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही थी। अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल पर अपने पैरों के बीच एक बैग (झोला) रखा हुआ था। अपीलार्थी को उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकारों के बारे में प्रदर्श पी-7 के माध्यम से सूचित किया गया और तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति स्वयं प्रदर्श पी-7 में ही दर्ज की गई। तत्पश्चात, राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने अपीलार्थी के बैग की तलाशी ली। झोले में रखा गया गांजा, अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया। प्रदर्श पी-11 के माध्यम से मौके पर ही गांजे का वजन किया गया, जो 9 किलोग्राम और 200 ग्राम पाया गया। प्रदर्श पी-12 के माध्यम से गांजे को जब्त किया गया। जब्तशुदा गांजे का नमूना भी अलग से तैयार किया गया। अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श पी-15) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल और उसके दस्तावेज भी जब्त किए गए। मौके पर ही देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-20) दर्ज की गई। जब्ती और गिरफ्तारी के पश्चात, अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) वापस थाने आए और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) के माध्यम से अपराध पंजीकृत किया। सील का नमूना भी तैयार किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 57 के तहत की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण प्रदर्श पी-30 के माध्यम से तैयार किया गया। गांजे के नमूने और जब्तशुदा गांजे को मालखाना मुहर्रिर को मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंप दिया गया। नमूनों को परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर भेजा गया। वहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-33) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-33 में, गांजे के परीक्षण में गांजा की पुष्टि होना पाया गया।

अन्वेषण (जाँच) पूर्ण होने के पश्चात, उक्त अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडादिष्ट किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील साहू ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि बैग में गांजा था और बैग से लिए गए नमूनों को सील किया गया था तथा सील का नमूना तैयार किया गया था। अपीलार्थी से की गई जब्ती विधि के अनुसार नहीं थी। एफ.एस.एल. भेजे गए बैग की सील के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः, अपीलार्थी उसके विरुद्ध तय किए गए आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4.राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने विशेष प्रकरण क्रमांक 19/2002 के अभिलेख का परीशीलन किया है।

6.अभियोजन पक्ष ने प्रधान आरक्षक फेकूराम भारती (अ.सा.-1), मोहम्मद अनीस (अ.सा.-2), मनीष सोनी (अ.सा.-3), मोहम्मद अहमद खान (अ.सा.-4), इकबाल खान (अ.सा.-5), सहा. उप-निरीक्षक एस.के. द्विवेदी (अ.सा.-6) और निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) का परीक्षण कराया है। अपीलार्थी ने अपने बचाव में सहायक रासायनिक परीक्षक-सह-वरिष्ट वैज्ञानिक डॉ. एम.के. वर्मा (बचाव साक्षी.-1) का परीक्षण कराया है।

7. राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने यह साक्ष्य ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 06-08-2002 को, वह थाना गुरूर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उस तिथि को, लगभग रात्रि 10:45 बजे, उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल मोपेड क्रमांक एम . पी 029 4152 पर गुरूर सनौद रोड की ओर गांजा ला रहे हैं। उन्होंने प्रदर्श पी-6 के माध्यम से 'मुखबिर सूचना पंचनामा' तैयार किया और उक्त जानकारी को रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श पी-1सी) में भी दर्ज किया। उन्होंने उक्त सूचना प्रदर्श पी-23 के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक , बालोद को प्रेषित की।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. प्रधान आरक्षक फेकूराम भारती (अ.सा.-1) ने यह साक्ष्य में कथन किया है कि वह थाना गुरूर में थाना मुहर्रिर-सह-मालखाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 06-08-2002 को, राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने मुखबिर सूचना दर्ज की और उसे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 201 में प्रविष्ट किया। मूल सान्हा प्रदर्श पी-1 है और इसकी प्रति प्रदर्श पी-1सी है। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि मुखबिर सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी।

9. **करनैल सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2009) 8 एस.सी.सी 539** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

> "35. निष्कर्ष में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी विरुद्ध गुजरात राज्य, (2000) 2 एस.सी.सी 513 के मामले में धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं के अक्षरशः अनुपालन की अपेक्षा नहीं की गई थी, और न ही साजन अब्राहम विरुद्ध केरल राज्य, (2001) 6 एस.सी.सी 692 में यह कहा गया था कि धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं को बिल्कुल भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों निर्णयों का प्रभाव निम्नानुसार था :-
>
> (अ) किसी भी व्यक्ति से सूचना [धारा 42 की उप-धारा (1) में वर्णित प्रकृति की] प्राप्त होने पर, अधिकारी को धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई करने के लिए आगे

बढ़ने से पहले, इसे संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप में दर्ज करना होगा और तत्काल उसकी एक प्रति अपने निकटतम आधिकारिक वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होगी।

(ब) किंतु यदि सूचना तब प्राप्त हुई थी जब अधिकारी पुलिस थाना में नहीं था, बल्कि वह गश्त ड्यूटी पर या अन्यथा कहीं बाहर था, चाहे मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों से, और वह सूचना तत्काल कार्रवाई की मांग करती हो, तथा किसी भी देरी के परिणामस्वरूप सामग्री या साक्ष्य को हटाया या नष्ट किया जा सकता था, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना साध्य या व्यावहारिक नहीं होगा; ऐसी स्थिति में, वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और उसके पश्चात, जैसे ही व्यावहारिक हो, सूचना को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है और तत्काल अपने आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी सूचना दे सकता है।

(स) दूसरे शब्दों में, प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के संबंध में धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, सामान्यतः अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पूर्व होना चाहिए। किंतु आपातकालीन स्थितियों वाली विशेष परिस्थितियों में, सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना और उसकी प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को भेजना एक उचित अवधि के लिए स्थगित किया जा सकता है, अर्थात् तलाशी, प्रवेश और जब्ती के बाद। यहाँ मुख्य प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता का है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(द) जबकि धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) की आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन न करना अअनुज्ञेय है, वहीं देरी के संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन को धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी देरी के कारण अभियुक्त के भागने या सामग्री या साक्ष्य के नष्ट होने या हटाए जाने की संभावना हो, तो कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज न करना, या ऐसी सूचना की प्रति तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को न भेजना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। किंतु यदि सूचना तब प्राप्त हुई थी जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाना में था और उसके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था, और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है, या उसकी प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को भेजने में विफल रहता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होगी जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी प्रकार, जहाँ पुलिस अधिकारी सूचना को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करता है, और आधिकारिक वरिष्ठ को बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है, तो वह भी अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। धारा 42 का पर्याप्त या सारभूत अनुपालन हुआ है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में किए गए संशोधन से और अधिक सुदृढ़ हो गई है।

10. निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) और प्रधान आरक्षक फेकूराम भारती (अ.सा.-1) के साक्ष्य को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने गुप्त सूचना प्राप्त होने पर उसे रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया और अलग से 'मुखबिर सूचना पंचनामा' तैयार किया तथा इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसकी पुष्टि दस्तावेज़ प्रदर्श पी-1-अ और प्रदर्श पी-6 से होती है। अतः, यह स्पष्ट है कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने अधिनियम की धारा 42(2) के प्रावधानों का अनुपालन किया था।

11.अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50 के . प्रावधानों का सारभूत अनुपालन किया गया है या नहीं? अधिनियम की धारा 50(1) के तहत, वह अधिकारी जो अभियुक्त की तलाशी लेने वाला है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी कराए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे। यदि वह व्यक्ति किसी राजपत्रित अधिकारी या मैजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी का विकल्प चुनता है, तो उसे तत्काल उक्त अधिकारी या मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। अन्यथा, संबंधित अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सकती है। विधि की इस आवश्यकता को आज्ञापक प्रकृति का माना गया है और इसका अनुपालन न करना विचारण को दूषित कर देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने साक्षियों को बुलाया और उसके पश्चात वे गुरूर सनौद रोड की ओर बढ़े, जहाँ उनके द्वारा मोटरसाइकिल पर आ रहे अपीलार्थी और रामखिलावन को रोका गया; उक्त मोटरसाइकिल अपीलार्थी द्वारा चलाई जा रही थी। अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल पर अपने पैरों के बीच एक बैग रखा हुआ था। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकार के बारे में प्रदर्श पी-7 के माध्यम से सूचित किया गया था। उन्होंने अपीलार्थी को सूचित किया कि उसके पास किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी कराए जाने का अधिकार है। तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति को प्रदर्श पी-7 में ही दर्ज किया गया था। इसके पश्चात, राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने अपीलार्थी के बैग की तलाशी ली। बैग में रखा हुआ गांजा, अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया। प्रदर्श पी-11 के माध्यम से घटनास्थल पर ही गांजे का वजन किया गया। गांजा 9 किलोग्राम और 200 ग्राम पाया गया। प्रदर्श पी-12 के माध्यम से गांजे को जब्त किया गया। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि गांजे की पहचान उसे जलाकर और सूंघकर की गई, जिससे उसके गांजा होने की पुष्टि हुई। जब्तशुदा गांजे का नमूना भी अलग से तैयार किया गया। नमूना पंचनामा भी तैयार किया गया। अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श पी-15) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल और उसके कागजात भी जब्त किए गए। घटनास्थल पर ही देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-20) दर्ज की गई।

13.प्रदर्श पी-7 के माध्यम से, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके अधिकार की सूचना दी गई थी। उसकी तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति स्वयं प्रदर्श पी-7 में ही दर्ज की गई थी।

14. **निर्मल सिंह पहलवान उर्फ निम्मा विरुद्ध इंस्पेक्टर, कस्टम्स, कस्टम्स हाउस, पंजाब, जे.टी 2011 (8) एस.सी 581** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

"7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और उद्धृत न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में मामले के तथ्यों का परीक्षण किया है। प्रदर्श पी.ए. वह सहमति पत्रक है जिसके तहत अपीलार्थी ने एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुना था। यह मेमो गुरुमुखी लिपि में है और इसे हमें पढ़कर सुनाया गया है। हम देखते हैं कि कल्पना के किसी भी विस्तार द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी कराए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था, क्योंकि उसे केवल एक या दूसरे के समक्ष तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया था। विजयसिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, संविधान पीठ ने कंडिका 1 में अपने समक्ष विचारणीय विषय को निम्नानुसार स्पष्ट किया था:-

> "अपीलों के इस समूह में विचारार्थ उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन.डी.पी.एस. अधिनियम") की धारा 50, सशक्त अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में "सूचित" करे कि यदि वह चाहे तो उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ली जाए, या क्या उक्त अधिकारी द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से केवल इतनी पूछताछ करना कि क्या वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा, उक्त धारा के आज्ञापक आदेश का उचित अनुपालन माना जा सकता है?"
>
> 9. अतः यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी सहमति पत्रक को अभियुक्त को अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकार के बारे में दी गई सूचना माना जा सकता है। संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सहमति मेमो को ऐसी सूचना नहीं माना जा सकता क्योंकि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान आज्ञापक हैं और उनका कड़ाई से अनुपालन आवश्यक है, तथा उससे किसी भी प्रकार का विचलन अभियोजन को दूषित कर देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मैंने राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को प्रदर्श पी-7 के माध्यम से उसके इस अधिकार के बारे में सूचित किया था कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष या स्वयं उनके (अन्वेषण अधिकारी के) समक्ष तलाशी लिए जाने का हकदार है। अपीलार्थी ने प्रदर्श पी-7 में ही स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने हेतु अपनी लिखित सहमति दी थी। राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सारभूत अनुपालन भी किया गया था।

16. मदनलाल एवं अन्य विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, (2003) 7 एस.सी.सी 465 और **मेघ सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, (2003) 8 एस.सी.सी 666** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन पात्र , बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। धारा 50 की भाषा पूर्णतः स्पष्ट है कि तलाशी का संबंध किसी 'व्यक्ति' से होना चाहिए, न कि परिसर, वाहन या वस्तुओं की तलाशी से। इस स्थिति को **पंजाब राज्य विरुद्ध बलदेव सिंह, (1999) 6 एस.सी.सी 172** में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे स्पष्ट कर दिया गया था।

17. उपरोक्त स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए, अधिनियम की धारा 50 तब लागू नहीं होगी जब तलाशी किसी घर, वाहन, पात्र बैग या परिसर की ली जाती है। वर्तमान मामले में, तलाशी अपीलार्थी के बैग की ली गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है।

18. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य को किसी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है। अतः, केवल राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि निर्धारित नहीं की जा सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. **गिरजा प्रसाद (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 7 एस.सी.सी 625** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार प्रेक्षण किया:-

"25. हमारे निर्णय में, उपरोक्त प्रस्थापना इस बिंदु पर सही विधि प्रतिपादित नहीं करती है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण सत्यता और विश्वसनीयता की कसौटी पर किया जाना चाहिए। यह पूरी तरह संभव है कि किसी दिए गए प्रकरण में, न्यायालय केवल शिकायतकर्ता या पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि न करे; किंतु यह विधि नहीं है कि पुलिस साक्षियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और उनके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरणों में उसकी संपुष्टि न की जाए। यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, उतनी ही एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होती है जितनी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए। पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य में केवल इस आधार पर कोई दुर्बलता नहीं जुड़ जाती कि वे पुलिस बल से संबंधित हैं। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि पुलिस अधिकारियों के परिसाक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, भले ही ऐसा साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद हो।सावधानी का नियम उनके साक्ष्य के अधिक सावधानीपूर्वक संवीक्षा की अपेक्षा कर सकता है। किंतु, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि साक्षी द्वारा जो कहा गया है उसमें सत्यता का पुट है, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि निर्धारित की जा सकती है।

26. इस बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि आधी शताब्दी से भी अधिक समय पहले, **अहेर राजा खिमा विरुद्ध सौराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर 1956 एस.सी 217** में, न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर ने कहा था: (**ए.आई.आर** पृष्ट . 230, कंडिका 40)

" 40. ... यह उपधारणा कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, उतनी ही एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होती है जितनी कि अन्य व्यक्तियों के लिए; और बिना किसी ठोस आधार के उन पर अविश्वास करना और संदेह करना एक उचित न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण न तो न्यायपालिका के लिए सम्मानजनक होगा और न ही जनता के हित में। यह केवल पुलिस प्रशासन की प्रतिष्ठा को कम करने का ही काम कर सकता है । "

27. इसी तरह के एक प्रश्न पर विचार करते हुए, **ताहिर विरुद्घ राज्य (दिल्ली), (1996) 3 एस.सी.सी. 338** में, न्यायमूर्ति डॉ. ए.एस. आनंद (जैसा कि वे उस समय थे) ने कहा था: (एस.सी.सी पृ. 341, पैरा 6)

"6. ... जहाँ पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, सावधानीपूर्वक संवीक्षा के पश्चात, विश्वसनीय प्रतीत होता है और भरोसेमंद तथा विश्वसनीय पाया जाता है, तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है; और उनके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए इलाके के किसी स्वतंत्र साक्षी की अनुपस्थिति, किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, पंच साक्षी मोहम्मद अनीस (अ.सा.-2) और मनीष सोनी (अ.सा.-3) पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया, किंतु उन्होंने यह साक्ष्य दिया कि वे राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साथ सनौद-गुरूर रोड गए थे और राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने मोटरसाइकिल रुकवाई थी तथा मोटरसाइकिल पर रखे बैग की तलाशी ली थी। . "उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि तलाशी के पश्चात, उन्हें बताया गया था कि बैग में गाँजा था। उपरोक्त दो पंच साक्षियों के साक्ष्य को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) सनौद-गुरूर रोड गए थे, मोटरसाइकिल को रुकवाया था और बैग की तलाशी ली थी। निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य और प्रदर्श पी -1 सी , प्रदर्श पी -6, प्रदर्श पी-7 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का सारवान रूप से अनुपालन किया है। अतः, उनके साक्ष्य को पंच साक्षियों के साक्ष्य द्वारा संपुष्टि के बिना भी विचारार्थ लिया जाता है।"

21. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अधिनियम की धारा 55 और 57 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है?

22. गुरबख्श सिंह विरुद्घ हरियाणा राज्य, (2001) 3 एस.सी.सी 28 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-

" 9 "यह सत्य है कि धारा 52 और 57 के प्रावधान निदेशात्मक हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन स्वतः ही विचारण या दोषसिद्धि को दूषित नहीं करेगा। तथापि, जाँच अधिकारी इन प्रावधानों की पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकता और ऐसी विफलता का अभियुक्त की गिरफ्तारी या वस्तु की जब्ती के संबंध में साक्ष्य के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान प्रकरण में, विवेचना अधिकारी ने स्वीकार किया है कि 'मुद्दामाल' वस्तु पर लगाई गई सील गवाह (अ.सा.-1) को सौंप दी गई थी और 10 दिनों तक उसी के पास रही थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि

मुद्दामाल के पार्सल पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा सील नहीं किए गए थे जैसा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 55 के तहत आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि क्या रासायनिक परीक्षक को नमूना (उचित और अक्षुण्ण) सील के साथ प्राप्त हुआ था। यह संदेह उत्पन्न करता है कि क्या वही नमूने रासायनिक परीक्षक को भेजे गए थे। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि विवेचना अधिकारी ने अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी और जब्ती के सभी विवरणों की पूर्ण रिपोर्ट देने की धारा 57 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।"

23. वर्तमान प्रकरण में, राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने यह साक्ष्य दिया कि बरामद गाँजे का वजन 9 किलोग्राम और 200 ग्राम पाया गया था। गाँजे को प्रदर्श. पी-12) के माध्यम से जब्त किया गया था। जब्त किए गए गाँजे का नमूना भी अलग से तैयार किया गया था। अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श पी -15) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। मोटरसाइकिल तथा उसके कागजात भी जप्त कर लिए गए। देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-20) घटना स्थल पर ही दर्ज की गई। जप्ती तथा गिरफ्तारी के पश्चात विवेचना अधिकारी निरीक्षक राजीव शर्मा (अभि साक्षी-7) पुलिस थाना वापस आए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-21) के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध किया। नमूना सील की छाप भी प्रदर्श पी-22 के माध्यम से तैयार की गई। कार्यवाही का संपूर्ण विवरण अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत प्रदर्श पी-30 के माध्यम से तैयार किया गया। गांजा के नमूने तथा जप्त किया गया गांजा सुरक्षित अभिरक्षा हेतु मालखाना मोहर्रिर को मालखाना में सुपुर्द किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 .फेकुराम भारती (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने 7-8-2002 को राजीव शर्मा (अ.सा.-7) प्रकरण की संपत्ति (जब्त माल) प्राप्त की थी और उसे मालखाने में रखा दिया गया था। इस आशय की एक प्रविष्टि मालखाना रजिस्टर में की गई थी। जो कि पी-5 है और उसकी प्रदर्श पी-5- ए है। प्रदर्श पी-5-ए रजिस्टर वह है जिसमें क्रमांक 92 पर वर्तमान संपत्ति और की गयी प्रविष्टी के संबंध में गई राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने प्रदर्श -22 के माध्यम से 'नमूना तैयार किया था।

25. उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब्त की गई वस्तुओं और नमूनों को राजीव शर्मा (अ.सा.-7) द्वारा सील किया गया था और उन्होंने उन वस्तुओं पर सील लगाई थी। ऐसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि जो नमूना पहले से ही जब्ती अधिकारी द्वारा सील किया जा चुका है और जिसे मालखाने में जमा कर दिया गया है, उसे पुलिस थाना के प्रभारी डाक द्वारा पुनः सील किया जाना चाहिए।

26. राजीव शर्मा (अ.सा.-7) और फेकुराम भारती (अ.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था।

27. डॉ. एम.के. वर्मा (बचाव साक्षी-1) ने साक्ष्य दिया कि वह क्षेत्रीय विधि विज्ञान रायपुर में सहायक रासायनिक परीक्षक-सह-वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि 12-8-2002 को उन्हें थाना गुरूर के अपराध क्रमांक 185/02 से संबंधित चार सीलबंद पैकेट, थाना गुरूर के आरक्षक क्रमांक 334 जगदीश तिवारी से रासायनिक परीक्षण के लिए प्राप्त हुए थे। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि नमूने अक्षुण्ण थे। उन्हें अलग से 'नमूना सील' भी प्राप्त हुई थी। उन्होंने नमूनों पर लगी सील का मिलान नमूना सील से किया और दोनों को एक समान पाया। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि उन्हें संपत्ति और नमूना सील सही स्थिति में प्राप्त हुई थी। नमूनों के परीक्षण के पश्चात, उन्होंने पाया कि वे 'गाँजा' थे।

28. राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने जब्ती, गिरफ्तारी और अपने द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई के संबंध में प्रदर्श पी-26 और पी-30 के माध्यम से अपने वरिष्ठ को सूचना भेजी थी। निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-7) के साक्ष्य और प्रदर्श -26 और पी-30 को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती और अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात, अपने वरिष्ठ विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी थी। अतः, यह स्पष्ट है कि राजीव शर्मा (अ.सा.-7) ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अतः, वर्तमान प्रकरण में, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का सारवान रूप से अनुपालन किया गया है। मुझे विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि या दुर्बलता नहीं मिलती है।

30 . पूर्वोक्त कारणों से, यह अपील खारिज की जाती है।

सही /-
आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : Ajay Kumar Agnihotri Advocate